



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07082024-256132
CG-DL-E-07082024-256132

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3053]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 7, 2024/ श्रावण 16, 1946

No. 3053]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 7, 2024/ SHRAVANA 16, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2024

(आयकर)

का.आ. 3202(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए 'कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केन्द्र'(पैन: AAATD2434P), कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा गठित एक निकाय को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात्:

- राज्य सरकार तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान,
- डेटा साझा करने की गतिविधियों से प्राप्त आय, तथा
- बैंक जमा पर व्याज।

2. यह अधिसूचना उन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि 'कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केन्द्र'—
 (क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
 (ख) इसकी गतिविधियां और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तित रहेंगी; और
 (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4 ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा।
3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्षों 2021-2022, 2022-2023 एवं 2023-2024 के लिए मानी जाएगी तथा क्रमशः वित्तीय वर्षों 2021-2022, 2022-2023 एवं 2023-2024 के लिए संगत होगी तथा निर्धारण वर्षों 2024-2025 एवं 2025-2026 के लिए लागू होगी तथा क्रमशः वित्तीय वर्षों 2023-2024 एवं 2024-2025 के लिए संगत होगी।

[अधिसूचना सं. 98/2024/फा. सं.300196/9/2020-आईटीए-1]

विकास सिंह, निदेशक (आईटीए-1)

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2024

(INCOME-TAX)

S.O. 3202(E).— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Karnataka State Natural Disaster Monitoring Centre' (PAN:AAATD2434P), a body constituted by the State Government of Karnataka, in respect of the following specified income arising to that body, namely:-

- Grant –in-aid received from State Govt. and Govt. of India,
- Income received from data sharing activities, and
- Interest on bank deposits

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Karnataka State Natural Disaster Monitoring Centre -

- shall not engage in any commercial activity;
- activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for the assessment years 2021-2022, 2022-2023 and 2023-2024 relevant for the financial years 2020-2021, 2021-2022 and 2022-2023 and shall be applicable for the assessment years 2024-2025 and 2025-2026 relevant for the financial years 2023-2024 and 2024-2025 respectively.

[Notification No. 98/2024/F.No.300196/9/2020-ITA-1]

VIKAS SINGH , Director (ITA-1)

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.